COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20 20रु.

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10 10रु.

(28)

निगरानी प्र.क्रं. /18–19

माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर के समक्ष

PBR/निगरानी/इंदौर/भू.रा/2018/2111

कु.निष्ठा पिता श्री जगदीश वर्मा

अवयस्क द्वारा – संरक्षक पालनकर्ता

श्रीमती बिट्टनबाई पति स्व, श्री छोटेलाल वर्मा

निवासी 166, साजन नगर, इन्दौर (म.प्र.) ......प्रार्थी

विरुद्ध

महेश पिता छोटेलाल वर्मा

निवासी –166, साजन नगर, इन्दौर (म.प्र.) ......प्रतिप्रार्थी

निगरानी– अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता

इसमें प्रार्थी श्रीमान अपर आयुक्त महोदय, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा प्र.क्रं. 496/अपील/17–18 में पारित आदेश दिनांक 26/3/2018 से असंतुष्ट होकर उक्त निगरानी निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत करती है :–

02/04/18

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी /इंदौर/भू.रा/18/2111

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-4-18	आवेदक अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-3-2018 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा स्थगन पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार न कर स्थगन आवेदन निरस्त किया गया है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है इसलिये प्रकरण सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में होने से आगामी तीन माह तक के लिये अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों का क्रियान्वयन स्थगित करते हुये अपर आयुक्त निर्देशित किया जाता है कि वे उनके समक्ष लंबित प्रकरण का अंतिम निराकरण तीन माह में करें । उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी समाप्त की जाती है । अध्यक्ष	